विषय– झॉसी मंडल में अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 के लिए एक्ट अप्रैन्टिसों के प्रशिक्षण हेतु RRC/PRYJ द्वारा जारी अधिसूचना सं0 01/2023 के परिपेक्ष्य में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं प्रशिक्षण भेजे जाने के सम्बन्ध में।

****

उ. म. रे. झांसी मंडल पर अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 के लिए एक्ट अप्रैन्टिसों को प्रशिक्षण देने हेतु निम्नलिखित शर्ते लागू होगी–

1. चयनित सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिये उपस्थित होना है। दस्तावेजों की स्वप्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि भी दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी।
2. **रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एनेक्सर–एच में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सरकारी अधिकृत डाक्टर (राजपत्रित) केन्द्रिय/राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। एनेक्सर–एच प्रोफार्मा संलग्न है।**
3. सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारो को दैनिक भत्ता या ट्रेवलिंग भत्ता नहीं दिया जायेगा। चयनित प्रशिक्षुओं को होस्टल/आवास प्रदान नहीं किया जायेगा तथा अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
4. रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते।
5. किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तो रेल प्रशासन ऐसे उम्मीदवार को न केवल किसी भी स्तर पर बिना कोई नोटिस दिए अपितु उसके चयन के पश्चात् भी प्रशिक्षण पर जाने से रोकने का अधिकार है।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किसी संस्था द्वारा अप्रेन्टिस की गई हो एवं कान्ट्रेक्ट नंम्बर जारी हो चुके हो तो उस संस्था द्वारा बर्खास्तगी (Termination) के उपरान्त ही कान्ट्रेक्ट नम्बर जारी किया जा सकता है।
7. **दस्तावेजों के सत्यापन पूर्व एप्रेन्टिस पोर्टल पर एप्लाई करें तथा अपनी प्रोफाईल एवं केवाईसी 100 प्रतिशत पूर्ण करें।**
8. **प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 14 दिन के अन्दर पोर्टल पर कान्ट्रेक्ट जनरेट करवाना आवश्यक है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कान्ट्रेक्ट जारी नहीं करवाया जाता है तो स्वंय की जिम्मेदारी होगी। उसी दिन सत्यापन के उपरान्त कान्ट्रेक्ट जनरेट किये जाने हेतु स्थल पर आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी।**
9. आपको हाल ही का खिचा हुआ फोटो 4 प्रतियों में लाना होगा।
10. सत्यापन उपरान्त आपको उसी दिन या अगले दिन प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा अतः आप पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हों।
11. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र 01 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए एवं जाति प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा में होना आवश्यक है।

उपरोक्त सभी प्रपत्र पूर्ण होने के उपरान्त ही आपको प्रशिक्षण में भेजा जायेगा।

यदि आपको उपयुक्त शर्ते मंजूर हो तो **आप मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक), उ0म0रे0, झॉसी (भर्ती अनुभाग) में दिनांक 27.03.2024 को प्रातः 09:30 बजे** आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों सहित अन्य औपचारिकताओं के लिए उपस्थित हो ताकि आगे कि ओपचारिकता पूरी हो सके।

संलग्नक– एनेक्सर–एच

निम्न मूल दस्तावेज एवं छायाप्रति साथ में लाना अनिवार्य है

1- हाईस्कूल का अंकपत्र एवं सर्टीफिकेट।
2. तकनीकी/आई टी आई अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। (सेमेस्टरवाईज हो तो अलग–अलग)
3. उपरोक्तानुसार जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
4. विकलांग अभ्यर्थियों को विकलांग प्रमाण पत्र।
5. भू.पू. सैनिक/बच्चो का सेवा प्रमाण पत्र।
6. आधार कार्ड।
7. पैन कार्ड।
8. बैकं पासबुक/चैकबुक
9. आपको भेजी गई ई–मेल की प्रति।

आज्ञा से

वरि0मण्डल कार्मिक अधिकारी/झांसी